



MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION, LTD

(GOVT OF M.P. UNDERTAKING)

CIN: U45203MP2004SGC016758

Darbar Singh Gohel, Silver Hills Colony, Opp Maharana Pratap Statue
Indore Road, Dhar (MP) 454001 Tel 07292-297062 Email : dmindore2@gmail.com

क्रमांक 2853 / मप्रसविनिलि / एडीबी-06 / वनभूमि / 2022
प्रति,

धार, दिनांक 24 / 03 / 2022

प्रधान वन संरक्षक,
वन विभाग (भूमि प्रबंधन)
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)


विषय:- एडीबी-6 के अंतर्गत निर्माणाधीन मार्गों के निर्माण में उपयोग की जा रही वन भूमि के बदले समतुल्य वन विभाग को आवंटित की गई राजस्व भूमि के संबंध में।

-----000-----

उपरोक्त विषय में लेख है कि म.प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग इंदौर-2, धार के अंतर्गत एडीबी-06 योजना के मार्गों का निर्माण में वन भूमि पर कार्य करने हेतु वन विभाग को वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि (गैर वनभूमि) आवंटित की गई हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :-

सं. क्रं.	मार्ग का नाम	वनक्षेत्र में मार्ग की लंबाई (कि.मी. में)	प्रभावित हो रही वनभूमि का क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	जिले का नाम जहां की राजस्व भूमि आवंटित की गई है।	समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित (हेक्टे. में)	रिमार्क
1	भाभरा-उदयगढ़ मार्ग	1.850	2.775	धार	5.145	कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रं. 01 दिनांक 03.01.2022 के द्वारा ग्राम मोयाखेड़ा, तहसील सरदारपुर में स्थित खसरा नं. 553/1 में 5.145 हेक्टे. आवंटित की गई हैं।
2	टांडा-बलवारी मार्ग	1.060	1.590			
योग			4.365		5.145	

चाही गई जानकारी आपकी ओर अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।


(श्याम कुमार गुप्ता)
संभागीय प्रबंधक

म.प्र. सड़क विकास निगम लि.
इन्दौर-2, धार (म.प्र.)



न्यायालय कलेक्टर जिला धार (म. प्र.)

क्र.

धार, दि.....

RCMS क्रमांक 0091/अ-20(3)/2021-22

संभागीय प्रबंधक,

म.प्र.सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर - 2 धार

....आवेदक

::आदेश::

(दिनांक 3/1/22 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर - 2 धार के द्वारा म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के भाग-एक (राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि हस्तांतरण) में भूमि आवंटन की कंडिका 11 के अंतर्गत जिला धार स्थित वर्तमान प्रमुख जिला सडक के उन्नयन कार्य में लगभग 5.145 हैक्टेयर ली जा रही वन भूमि के बदले ग्राम गुमानपुरा तहसील सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 30 क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने बाबत आवेदन-पत्र आर.सी.एम.एस पोर्टल पर दिनांक 10/03/2021 को प्रस्तुत किया गया। न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक RCMS क्रमांक 0023/अ-20(1)/2020-21 एवं RCMS क्रमांक 0002/अ-20(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 08/10/2021 से ग्राम गुमानपुरा तह. सरदारपुर जिला-धार स्थित शाराकीय भूमि खसरा क्रमांक 30 पैके क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वर्तमान प्रमुख जिला सडक के उन्नयन कार्य में लगभग 5.145 हैक्टेयर ली जा रही वन भूमि के बदले म.प्र.शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा वन मण्डलाधिकारी धार को म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 की कंडिका 17 के तहत आवंटित की गई।

2. संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर - 2 धार के द्वारा पत्र क्रमांक 8/केम्प सरदारपुर/म.प्र.स.वि.नि.लि/2021 दिनांक 06/12/2021 से अवगत कराया गया कि आवंटित की गई ग्राम गुमानपुरा तहसील सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 30 क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वन विभाग द्वारा लेना स्वीकार नहीं किया गया है। वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर ग्राम मोयाखेडा तहसीलदार सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 563/1 क्षेत्रफल 28.284 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु अनुकूल है। जिसके अंतर्गत वन विभाग को ग्राम मोयाखेडा स्थित भूमि आवंटित किये जाने हेतु आर.सी.एम.एस पर आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप-1 में 0622860502062-APP-12142175 प्रस्तुत किया गया।

3. प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर को जांच हेतु प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर के द्वारा तहसीलदार सरदारपुर से जांच कराई गई। तहसीलदार सरदारपुर के द्वारा प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सरदारपुर की अनुशंसा आदेशिका सहित प्रेषित किया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर की अनुशंसा आदेशिका अनुसार प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। समयावधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम मोयाखेडा का शामिल जोत का क्षेत्रफल 137.556 हैक्टेयर है, जिसके 2 प्रतिशत चरनोई हेतु सुरक्षित क्षेत्रफल 2.751 हैक्टेयर होना चाहिए। जबकि ग्राम में चरनोई हेतु सुरक्षित क्षेत्रफल 49.823 हैक्टेयर है। प्रश्नाधीन भूमि आवंटन से ग्राम के चरनोई हेतु सुरक्षित क्षेत्रफल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्नाधीन भूमि छोटे-बड़े झाड़ के जंगलों के रूप में परिभाषित नहीं है। भूमि हस्तांतरण किये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक कठिनाईयां नहीं है।

निरतर 2

Pain
वकील
जिला धार (म.प्र.)

4. जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति धार द्वारा समिति की बैठक दिनांक 30/12/2021 में ग्राम गुमानपुरा तहसील सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 30 क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर ग्राम मोयाखेडा तहसीलदार सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 553/1 क्षेत्रफल 28.264 हेक्टेयर में से क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर भूमि वन भूमि के बदले म.प्र.शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा वन मण्डलाधिकारी धार को आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है। उक्त स्वीकृति कार्यवाही विवरण प्रति सहित प्रकरण पत्रिका कडिका-16 के तहत संबंधित विभाग को भूमि हस्तांतरण कर कब्जा सौंपने का आदेश पारित करने हेतु प्रेषित किया गया।

अतः न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक RCMS क्रमांक 0023/अ-20(1)/20-21 एवं RCMS क्रमांक 0002/अ-20(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 08/10/2021 से ग्राम गुमानपुरा तह. सरदारपुर जिला-धार स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 30 पैकि क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है, तहसीलदार पूर्ववत राजस्व अभिलेख खाता, खसरा में म.प्र.शासन राजस्व विभाग का नाम दर्ज करें एवं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें व उक्त भूमि के स्थान पर ग्राम मोयाखेडा तहसीलदार सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 553/1 क्षेत्रफल 28.264 हेक्टेयर में से क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर भूमि वर्तमान प्रमुख जिला सडक के उन्नयन कार्य में ली गई भूमि क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर के बदले म.प्र.शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा वन मण्डलाधिकारी धार को म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 की कडिका 17 के तहत राज्य शासन का विभाग होने से बिना कर निर्धारण के म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 की कडिका 16 के अंतर्गत विभिन्न विभाग के प्रतिवेदन, अनापत्ति एवं शर्तों के अनुरूप आवंटित की जाती है। इनका उल्लंघन होने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

Pankaj Jain
31/12/22
कलेक्टर,
जिला-धार
धार, दिनांक 31/12/22

पृ.क्र. / 01 /रीडर-1/2021
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. वनमंडलाधिकारी वन मंडल जिला धार की ओर भेजकर लेख है कि प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को अधिकृत कर कब्जा रसीद तहसीलदार को सौंपने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार, तहसील, सरदारपुर की ओर प्रकरण पत्रिका सहित उपरोक्तानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने व आवंटित शासकीय भूमि का कब्जा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी को सीमांकन करवाकर सौंपने एवं भू-अभिलेख कागजात खसरा में अमल-दरामद करावें, बटे नम्बर कायम करें। मूल कब्जा रसीद खसरा नक्शा की एक-एक सत्यापित प्रति प्रकरण के संलग्न की जाकर प्रकरण अविलम्ब वापिस लौटावें।
9. प्रकरण क्रमांक RCMS क्रमांक 0002/अ-20(3)/2021-22 के संलग्न करने हेतु।

Pankaj Jain
कलेक्टर,
जिला-धार
जिला धार (म.प्र.)